न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.02 / रेफरेंस / 2024 (GCMS No. 2024 / 135)	02.09.2024	28.01.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तहसील बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र प्रभूलाल कौम कुम्हार नि. शिवशक्ति का खेडा
2. सुनिता बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी तख्तराम कौम कुम्हार निवासी डोकून तहसील नैनवां जिला बून्दी
3. मांगीबाई पत्नी प्रभूलाल कौम कुम्हार नि. शिवशक्ति का खेडा
4. मंजु बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी बनवारीलाल कौम कुम्हार निवासी अखेड तहसील रायथल जिला बून्दी
5. कृष्णाबाई पत्नी अमृतलाल कौम कुम्हार नि.शिवशक्ति का खेडा निवासी डोकून तहसील नैनवां जिला बून्दी
6. नितिन पुत्र अमृतलाल (नाबा.) संरक्षक माता कृष्णाबाई पत्नी अमृतलाल कौम कुम्हार नि.शिवशक्ति का खेडा
7. अर्जुन पुत्र अमृतलाल (नाबा.) संरक्षक माता कृष्णाबाई पत्नी अमृतलाल कुम्हार नि.शिवशक्ति का खेडा, तह. व जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री श्यामदत्त दाधीच, एडवोकेट

जिला कलेक्टर; बून्दी

सत्य प्रतिलिपि
अति०प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, बून्दी

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 860 दिनांक 06.02.2023 के विरूद्ध धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 2/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/135 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये अवगत कराया कि ग्राम शिवशक्ति का खेडा, पटवार मण्डल दौलाडा, तहसील एवं जिला बून्दी की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं.79 के खसरा नं. 5412 रकबा 2.1763 हैक्टेयर में खातेदार प्रभूलाल आ. नन्दकिशोर कौम कुम्हार हि.17/144 एवं खाता सं.80 के खसरा नं.168, 170, 171, 353, 427, 428, 429, 97 किता 8 कुल रकबा 1.2920 हैक्टेयर में खातेदार प्रभूलाल आ. नन्दकिशोर कौम कुम्हार हिस्सा 1/16 दर्ज रेकार्ड था। मुताबिक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2022 मोहनलाल आ. प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी शिवशक्ति का खेडा द्वारा खातेदार प्रभूलाल की दिनांक 18.08.2022 को मृत्यु हो जाना अंकित कर मृतक खातेरदार के स्थान पर उसके वारिसान के पक्ष में फोती नामान्तरकरण खोलने का निवेदन किया गयां। जिस पर पटवारी हल्का दौलाडा द्वारा मजमेआम में मृतक प्रभूलाल आ. नन्दकिशोर के संबंध में जांच कर मौका पर्चा तैयार किया गया। प्रकरण में मुताबिक प्रार्थी मोहनलाल के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का के मौका पर्चा अनुसार ऑनलाईन प्रकिया से मृतक खातेदार प्रभूलाल के स्थान पर उसके वारिसान अप्रार्थीगण सं.1 लगायत 7 के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 860 दिनांक 06.02.2023 स्वीकार किया गया। वक्त खसरा गिरदावरी संज्ञान में आया कि खाता सं.79 व 80 में मृतक खातेदार प्रभूलाल के वारिसान में एक पुत्री इन्द्रा बाई का नाम दर्ज होने से रह गया है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण सं. 860 सम्पूर्ण वारिसान के पक्ष में नहीं खोला गया, जो त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण सं. 860 दिनांक 06.02.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने हेतु हस्तगत रेफरेंस प्रकरण तैयार कर भिजवाया गया है जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

सत्य प्रतिलिपि
अति॰प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, बून्दी

जिला कलेक्टर, बून्दी

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये अवगत कराया कि इन्द्राबाई मृतक खातेदार प्रभूलाल की पुत्री है, किन्तु जिन निर्णयों में अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान दिया गया है उन निर्णयों का रेफरेंस कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण के विरूद्ध तहसीलदार बून्दी द्वारा पेश की गई कार्यवाही विधिसम्मत नहीं है। इस कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र सुनवाई योग्य नहीं होने से रेफरेंस कार्यवाही निरस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण सं. 860 दिनांक 06.02.2023 वाकेग्राम शिवशक्ति का खेडा के अवलोकन से प्रकट है कि खाता संख्या 79 एवं 80 में वर्णित आराजी के खातेदार प्रभूलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति कुम्हार के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत दौलाडा द्वारा स्वीकार किया गया। रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार वक्त खसरा गिरदावरी संज्ञान में आया कि खाता सं. 79 व 80 में मृतक खातेदार की एक पुत्री इन्द्रा बाई का नाम दर्ज होने से रह गया है। जिसके संबंध में न तो प्रार्थी मोहनलाल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया और न ही ग्रामवासियों द्वारा बताया गया। तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होना बताते हुये रेफरेंस स्वीकार किये जाने की अनुशंषा सहित प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यहां उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण को मृतक खातेदार प्रभूलाल के एक पुत्री इन्द्रा बाई मौजूद होने से इन्कारी नहीं है। अप्रार्थीगण की आपत्ति अपील किये जाने के बजाय रेफरेंस किये जाने को लेकर रही है। यह सही है कि नामान्तरकरण के विरूद्ध पक्षकारान द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट पेश किये जाने का प्रावधान निहित है, किन्तु नामान्तरकरण में कोई त्रुटि रह जाने पर तथा किसी पक्षकार द्वारा इसकी अपील नहीं किये जाने की स्थिति में तहसीलदार अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट रेफरेंस पेश करने हेतु सक्षम अधिकारी है। ऐसे में हस्तगत रेफरेंस कार्यवाही विधिसम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 860 दिनांक 06.02.2023 वाकेग्राम शिवशक्ति का खेडा निरस्त किया जाकर बाद जांच एवं वारिसान की सुनवाई की जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने बाबत आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर को रेफरेन्स किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 28.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी

सत्य प्रतिलिपि
अति० प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, बून्दी

कार्यालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते